मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल-462004
ई.पी.बी.एक्स. नं.: 2762094, 2762097, 2762203/05
फैक्स : 0755-2553806, कार्यालय : 0755-2553429
Website : www.mpmandiboard.org

कमांक / मंडी / प्रांगण / बैंक.पो.ऑ. / 2014–15 / 949 भोपाल,दिनांक 27 / 10 / 14

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)
(म0प्र0)

विषय :– मध्य प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण में ए.टी.एम. एवं बैंक शाखा खोलने के संबंध में।

———

मंडी अधिनियम 1972 में निहित प्रावधान के अनुसार कृषकों को उनकी उपज का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मंडी प्रांगण में ही किया जाना चाहिए। मंडी प्रांगण में किसान अपनी कृषि उपज को विकय हेतु लाते हैं। लायसेंसधारी व्यापारियों द्वारा अनाज कय किया जाता हैं जिसका करोड़ों रूपयों का भुगतान कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही नगद कृषकों को किया जाता हैं जिसमें व्यवहारिक रूप से जोखिम कृषक एवं व्यापारी दोनों को रहता है। अतएव राशि की नगदी का लेनेदेन हेतु एवं जिन मंडी प्रांगणों में शाखाऐं संचालित न हो उन प्रांगणों में बैंक की शाखाऐं खोलने एवं ए.टी.एम की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने हेतु यदि बैंक सहमत हो तो इस हेतु मंडी समिति में म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 अनुसार (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर) स्थान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार आपके संभाग अंतर्गत मंडी समितियों के प्रांगण में ए.टी.एम एवं बैंक शाखा खोलने संबंधी कार्यवाही तत्काल की जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल